BA - 1, Paper - 2

TOPIC - Parliamentary and Presidential Method
(संसदीय एवं अध्यक्षीय (राष्ट्रपतीय) पद्धति)

Date - 13.05.2020

Book Reference - B.L. Fadia, Gyandhiji Rai, Pukhraj Jain - (तुलनात्मक राजनीति) (तुलनात्मक शासन और राजनीति)

Seema Kumari
Asst. Prof. (Pol. Sc.), RMC, Sasaram.

संसदीय पद्धति (व्यवस्था) एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें, सरकार के कार्यपालिका और विधायिका अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति में वर्गीकृत होती हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें, कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उतरदायी होती है। दूसरी ओर राष्ट्रपतीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उतरदायी नहीं होती और यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले विधायिका से स्वतंत्र होती है।

संसदीय सरकार को 'कैबिनेट सरकार' या 'उतरदायी सरकार' या सरकार का 'वेस्टमिनिस्टर स्वरूप' भी कहा जाता है यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत जैसे देशों में प्रचलित है। दूसरी ~~राष्ट्रपति~~ र संसदीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव करने वाली ब्रिटिश संसद के उद्भव के उपरांत इसे सरकार का वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहा जाने लगा है।

राष्ट्रपति सरकार को 'गैर उतरदायी' तथा

गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। अमेरिका, फ्रांसीसी, रूस श्रीलंका में यही शासन व्यवस्था है।

संसदीय एवं राष्ट्रपति व्यवस्था की तुलना

विशेषताएं

1. दोहरी कार्यकारिणी
2. बहुमत के दल का शासन
3. सामूहिक उत्तरदायित्व
4. राजनीतिक एकरूपता
5. दोहरी सदस्यता
6. प्रधानमंत्री का नेतृत्व
7. निचले सदन का विघटन होगा
8. शक्तियों का सम्मिश्रण

गुण

1. विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य
2. उत्तरदायी सरकार
3. निरंकुशता पर रोक
4. व्यापक प्रतिनिधित्व

दोष

1. अस्थायी सरकार
2. नीतियों की निश्चितता नहीं
3. शक्तियों के विभाजन के निकट
4. अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन

विशेषताएं

1. एकल कार्यकारिणी
2. राष्ट्रपति एवं विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन
3. उत्तरदायित्व का अभाव
4. राजनीतिक एकरूपता नहीं रहती
5. एकल सदस्यता
6. राष्ट्रपति का नियंत्रण
7. नहीं होगा
8. शक्तियों का विभेद

गुण

1. स्थायी सरकार
2. नीतियों में निश्चितता
3. शक्तियों के विभाजन पर आधारित
4. विशेषज्ञों द्वारा सरकार

दोष

1. विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव
2. गैर उत्तरदायी सरकार
3. गैर उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना
4. सीमित प्रतिनिधित्व.

Scanned with CamScanner

भारत में संसदीय व्यवस्था को संविधान निर्माताओं द्वारा अपनाया गया। यह ब्रिटीश काल से ही ~~अपनाया~~ गया भारत में अस्तित्व में था। डा० बी० आर० अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस ओर इशारा किया कि एक लोकतांत्रिक कार्यकारिणी को दो शर्तों से अवश्य संतुष्ट करना चाहिए - स्थायित्व एंव उत्तरदायित्व जो कि संसदीय व्यवस्था में ही संभव है।

भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरुप की व्यवस्था करता है। अनु० 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है और अनुच्छेद 163 व 164 राज्यों में उपबंध करता है।